आदेश पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक .... से .... तक

जिला – गिरिडीह .... संख्या .... [illegible] 02 सन् 2022-23

केश का प्रकार ....

आदेश की कम सं० एवं तिथि	पदाधिकारी का आदेश हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी आदेश सहित
05.03.2022	आवेदक राजकुमार अग्रवाल पुत्र सावित्री देवी साकिन - डुमरी थाना डुमरी जिला - गिरिडीह द्वारा मौजा कुलगो खाता सं० 96 प्लॉट सं० 3179 रकबा 0.34½ ए०, प्लॉट सं० 3171 रकबा 53 डी०, प्लॉट सं० 3176 रकबा 0.25 ए०, प्लॉट सं० 3183 रकबा 40 डी०, प्लॉट सं० 3193 रकबा 30 डी० एवं प्लॉट सं० 3196 रकबा 0.35 ए० भूमि Court of Sub-Judge I Giridih द्वारा Partion Suit no - 21/1991 द्वारा हासिल है। किन्तु इस जमीन पर कारू महतो पिता मुखलाल महतो जग्गी महतो पिता अखिलेश महतो निवासी पहरीधारी कुलगो तथा अन्य द्वारा नाजायज ढंग से कब्जा कर खेती किया जा रहा है। वर्णित भूमि की छानबीन कर न्याय दिलाने हेतु अनुरोध किया है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जॉंच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 3/08/22 को प्रस्तुत करें। (ह०) 5/3/22 अंचल अधिकारी डुमरी	
03.08.22	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपनिरीक्षक का जांच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा कुलगो के खाता सं० 96 प्लॉट सं० 3103, 3179, 3171, 3176, 3183, 3193 एवं 3196 रकबा क्रमशः 0.22 ए०, 0.34½ ए०, 0.53 ए०, 0.25 ए० 0.40 ए०, 0.30 ए० एवं 0.35 ए० कुल रकबा 2.39½ ए० रैयति खाते की है। दर्ज सर्वे खतियान भातु बनिया पिता ललित बनिया के नाम से दर्ज है उक्त भूमि आवेदक राजकुमार अग्रवाल के मॉं सावित्री देवी पति प्रमेश्वर प्रसाद अग्रवाल एवं अन्य साकिन डुमरी को Partision Suit No. 21/1991 द्वारा हासिल है जो पंजी के भोलुम न० 13/149 में सावित्री देवी एवं चन्द्रिका देवी के नाम से जमाबंदी कायम है। वर्तमान समय में उक्त भूमि पर कारू महतो पिता मुखलाल महतो, जग्गी महतो पिता अखिलेश महतो साकिन - कुलगो पहरीधार एवं अन्य के द्वारा जोत - आबाद किया जा रहा है इसी को लेकर आवेदक ने आवेदन समर्पित किया है। 12/8/22 उक्त जॉंच प्रतिवेदन के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 12.08.2022 को रखें। अ० अ०, डुमरी (ह०) 3/8/22	

7

12.08.22 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। आज की सुनवाई स्थगित बाद दिनांक 26/08/22 को रखे।

ह०/-
अंचल अधिकारी
डुमरी

26.08.2022 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित एंव हाजिरी दाखिल। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 9/9/22 को रखे।

ह०/-
अंचल अधिकारी
डुमरी

09.09.22 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। उभय पक्षों को पुनः सूचित करे। बाद दिनांक 15/10/22 को रखे।

ह०/-
अंचल अधिकारी
डुमरी

15.10.2022 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित एंव हाजिरी दाखिल। प्रथम पक्ष द्वारा Partition Suit no. 21 of 1991 की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया। द्वितीय पक्ष द्वारा श्रीमति गंगिया देवी पति अखिलेश्वर महतो से संबधित केवाला व अकलेश्वर महतो वल्द स्व. धनी महतो से संबधित केवाला एंव पारू महतो पिता जी सुखल से संबधित केवाला की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया जो अभिलेखबद्ध है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उनके पास जो अन्य कागजात है वे अगली तिथि को प्रस्तुत करेंगे। अभिलेख दिनांक 26.11.2022 को रखे।

ह०/- 15.10.22
अंचल अधिकारी
डुमरी

26.11.2022 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष ~~उपस्थित~~ अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष उपस्थित एंव हाजिरी दाखिल। द्वितीय पक्ष द्वारा बताया गया कि मेरे घर में जो भी कागजात था उसे मैं पूर्व में ही जमा कर चुका हूं। खोजबीन के पश्चात और कोई भी कागजात घर में नहीं मिला। प्रथम पक्ष को सूचित करे। बाद दिनांक 20.12.2022 को प्रस्तुत करे।

आदेश से।
अंचल अधिकारी, डुमरी।

20.12.2022 15.09.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से बताया गया कि श्री राजकुमार अग्रवाल किसी अन्य कार्यों से बाहर है इसलिए वे आज न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पायेंगे। ~~अतः~~ कि. अगली तिथि दिया जाय। सुनवाई स्थगित। वाद दिनांक 13.10.2023 को रखे। 15.09.23 अंचल अधिकारी डुमरी
13.10.2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष द्वारा Partition Suit No. 21 of 1991 ~~ई~~ की छायाप्रति प्रस्तुत कर बताया गया कि उक्त भूमि Partition Suit के डिग्री के माध्यम ~~मुझ~~ से भूमि मेरी माता सावित्री देवी को प्राप्त है। द्वितीय पक्ष द्वारा बताया कि उक्त भूमि पर जोत-कोड हमारा रहा है और वर्तमान में भी हमलोग जोत कोड कर रहे हैं। द्वितीय पक्ष द्वारा भूमि से संबंधित केवाला प्रस्तुत किया गया। चूँकि उक्त भूमि रैयती खाते की है उभय पक्षों में दखल को लेकर विवाद है। उभय पक्ष मामले की निपटारा हेतु सक्षम न्यायालय में दखल-दिहानी हेतु अपील दायर कर वाद का निष्पादन कर सकते हैं इसी के साथ अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 13.10.23 अंचल अधिकारी डुमरी 13.10.23 अंचल अधिकारी डुमरी

Digitally signed by Shashi Bhushan Verma
Date: 2025.07.14 11:21:34 +05:30
Location: 192.168.98.188